



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र  
Makhupura, Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer - 305 002 (Rajasthan)

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र

संख्या : राज/अजम- 89/चू.प.- 1 (खण्ड- I) / 653-655

अजमेर, दि.

01/07/15

सेवा में : मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड,  
बोंगुर नगर,  
पोस्ट बॉक्स सं. 33,  
ब्यवर - 305 901 (राज.)

विषय : राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित आपकी शेओपुरा कैसरपुरा चूना पत्थर खान (एम एल 24/97 आर) क्षेत्र 856.8 है. के लिए एमसीडीआर, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन। (Mine Code 32RAJ01001)।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.06.2015 को आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति में उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया कि, आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है।

नियम  
13(1).

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- The North Eastern part was not developed below 506 mRL as per Proposal in approved Mining Scheme.
- In Approved Mining Scheme, it was proposed to back fill the north eastern part of pit, which has not been completed.
- In approved mining scheme, it was proposed that western part of waste dump will be stabilized by construction of Retaining Wall, which was not implemented so far.
- As per approved scheme of mining, the waste dumps were proposed to be rehabilitated by plantation over them but during the inspection it was observed that waste material is being rehandled for any other purpose (i.e. sub-grade type of materials laying on the dump site).

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के अंतर्गत आपके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

TMFS  
5860

Vasud  
01/07/15

( जी. सी. मीना )  
उप खान नियंत्रक,  
भारतीय खान ब्यूरो